भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5624

04 अप्रैल,2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियों का विभाजन

† 5624. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए उपयोग प्रतिशत सहित आवंटित और वितरित धनराशि का राज्यवार विभाजन प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विशेष रूप से केरल में आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन हेतु आवंटित कुल एनएचएम बजट का अनुपात कितना है और विगत वर्षों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) एनएचएम के तहत केरल को वितरित की जाने वाली कुल लंबित राशि कितनी है तथा इसके जारी होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लागू कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फ्लेक्सीबल पूल के तहत एकमुश्त आधार पर निधियां जारी की जाती हैं ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी द्वारा बताई गई आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आशाकर्मियों संबंधी कार्यकलापों के लिए अलग से निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

एनएचएम के अंतर्गत निधियां जारी करना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा -निर्देशों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और आशाकर्मियों के लिए प्रोत्साहन के हिस्से की राशि को जारी करने सहित जनता को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एसपीआईपी) में दी गई आवश्यकताओं के आधार पर उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समग्र समाधान सीमा के भीतर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य को प्रदान किए गए अनुमोदनों की संख्या नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) में संदर्भित है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

केरल राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशा कार्यकर्ताओं के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वित्त वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन	**व्यय**
2021-22	1,675.38	1,501.01
2022-23	8,780.07	7,868.19
2023-24	8,780.07	6,819.57

नोट:

1. उपर्युक्त सूचना राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के लिए व्यय शामिल है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय							
करोड़ रुपये में							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.68	31.20	45.26	42.28	37.84	40.71
2	आंध्र प्रदेश	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,436.62
3	अरुणाचल प्रदेश	188.53	248.51	233.82	424.78	404.55	399.44
4	असम	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87
5	बिहार	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97
6	चंडीगढ़	17.47	26.86	38.09	26.98	30.58	31.85
7	छत्तीसगढ़	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38.59	45.02	58.28	41.61	39.92	41.96
9	दिल्ली	127.37	237.79	35.15	298.11	150.54	338.41
10	गोवा	26.01	60.56	55.42	84.64	48.97	82.44
11	गुजरात	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35	1,506.96	3,672.25
12	हरियाणा	577.07	879.91	681.21	1,185.43	524.01	998.80
13	हिमाचल प्रदेश	555.09	525.09	494.65	567.83	470.36	700.67
14	जम्मू और कश्मीर	459.10	779.61	651.52	917.02	805.22	956.95
15	झारखंड	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17	958.06	1,968.70
16	कर्नाटक	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,272.27
17	केरल	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96	189.15	1,069.42
18	लद्दाख	44.79	62.81	94.95	109.67	120.44	119.67
19	लक्षद्वीप	8.41	7.26	9.97	9.29	3.79	7.10
20	मध्य प्रदेश	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,079.18
21	महाराष्ट्र	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70
22	मणिपुर	95.59	154.09	61.40	214.69	169.12	159.32
23	मेघालय	282.46	227.08	261.56	319.08	261.39	305.83
24	मिजोरम	93.82	153.16	111.82	135.33	134.42	148.29
25	नागालैंड	126.66	192.16	91.38	161.93	184.84	196.69
26	ओडिशा	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50	1,901.77	2,868.83

27	पुडुचेरी	21.33	46.36	20.73	48.51	30.80	45.74
28	पंजाब	349.21	918.96	448.89	1,054.39	91.49	1,201.21
29	राजस्थान	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63
30	सिक्किम	51.86	46.06	73.30	88.69	68.17	55.69
31	तमिलनाडु	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84	1,996.06	2,957.57
32	तेलंगाना	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93	564.93	1,001.75
33	त्रिपुरा	217.95	237.24	231.90	287.20	264.31	277.62
34	उत्तर प्रदेश	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29	4,928.14	9,044.22
35	उत्तराखंड	553.47	606.07	505.01	647.13	711.33	709.79
36	पश्चिम बंगाल	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86	890.42	2,817.75

नोट:

1) उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

(2) उपर्युक्त सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है और अनंतिम है।

3) व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य का हिस्सा और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के लिए व्यय शामिल है।

******